UPET010023472026

न्यायालयः विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) एटा।
उपस्थितः शशि भूषण कुमार शांडिल, एच.जे.एस. (जे.ओ. कोड यू.पी.02751)

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–267/2026

नौशाद उम्र करीब 43 वर्ष पुत्र शकील, निवासी फतेहपुर, खेड़ी, थाना फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर(उ०प्र०)।

बनाम

राज्य

धाराः 394,411भा0द0सं0
थानाः अलीगंज, जिला,एटा.
अ0सं.: 289/2023

15.05.2026

लीगल डिफेन्स काउन्सिल एटा के द्वारा मु0अ0सं0 289/2023 अन्तर्गत धारा 394,411 भा0द0सं0 थाना अलीगंज जिला एटा में अभियुक्त नौशाद उम्र करीब 43 वर्ष पुत्र शकील, निवासी फतेहपुर, खेड़ी, थाना फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर(उ०प्र०) को माननीय उच्चतम् न्यायालय की विधि व्यवस्था SMWP(CRIMINAL) N0-04/2021,IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 के अनुपालन में जमानत दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिया जाकर व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

इस संबंध में अभियोयजन पक्ष डी.एल.एस.ए. के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त की जमानत पूर्व में इस न्यायालय से दिनांक 09–05–2025 को हो चुकी है, जिसमें अभियुक्त को मु०–50,000/–रु० के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया था। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के संबंध में डी.पी.ओ. मुजफ्फरनगर की आख्या आहूत की गई। डी.पी.ओ. आख्या के अनुसार अभियुक्त की पत्नी घर छोड़ कर चली गई है तथा 04 बच्चे हैं जिनका लालन–पालन अभियुक्त का छोटा भाई

Digitally signed by SHASHI BHUSHAN KUMAR SHANDIL
Date: 2026.05.15 13:17:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

महबूब कर रहा है। अभियुक्त के पास कोई पैतक सम्पत्ति/कृषि भूमि नहीं है। अभियुक्त के पास एक लगभग 30–35 गज खुली जगह है जिस पर झुग्गी डालकर बच्चे रह रहे हैं। अभियुक्त गरीब है और उसकी पैरोकारी करने वाला कोई नही है। प्रार्थी आज तक जमानत दाखिल नहीं कर सका है। प्रार्थी/अभियुक्त को माननीय उच्चतम् न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुपालन में जमानत दाखिल करने हेतु एक माह का समय दिया जाकर व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त नौशाद पुत्र शकील को उसके द्वारा निर्धारित मु0 50,000/–रूपये का मुचलका दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है। अभियुक्त एक माह के भीतर जमानत दाखिल करना सुनिश्चित करें।

(शशि भूषण कुमार शांडिल)
विशेष न्यायाधीश,(द0प्र0क्षे0)
एटा।